



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक 26.08.2023

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 319/2023 धारा 307 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ब्लेड सहित किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.08.2023 को वादी सुल्तान पुत्र  
वहाब निवासी मौ० नेजो सराय कस्बा व थाना  
अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने थाना  
अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि उसके भाई इमरान  
ने जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर  
ब्लेड से वार कर घायल कर दिया । तहरीर के  
आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु०अ०सं०  
319/2023 धारा 307 भादवि बनाम इमरान

उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –


पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में  
जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित  
अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे  
अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2023  
को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा  
उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र  
वहाब निवासी मौ० नेजोसराय कस्बा व थाना  
अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त  
ब्लेड सहित गिरफ्तार किया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र वहाब निवासी मौ० नेजोसराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री गोपाल सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
- 2.हे०का० 842 विकास बाबू थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।



**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 680/2023 धारा 196/420/467/  
468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 13.07.2023 को वादी श्री महेन्द्र कुमार, लिपिक न्यायालय अपर सिविल जज सी0डी0 कोर्ट सं0 - 3 ए0सी0जे0एम बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि ने अभियुक्तगण 1-राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह, 2-महिपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह 3-हिम्मत सिंह पुत्र चतर सिंह व 4-अशोक कुमार पुत्र बुद्ध सिंह निवासीगण ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा जालसाजी करते हुये मा0 न्यायालय से फर्जी जमानत ली गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 680/2023 धारा 196/420/467/468/471/120बी



भादवि बनाम राजेन्द्र सिंह आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-राजेन्द्र, 2-महिपाल व 3-हिम्मत सिंह को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है ।

**कार्यवाही –**

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –**

अशोक कुमार पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2-म0कां0 764 रीना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3-कां0 2543 शुभम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया  
गिरफ्तार ।**

## कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र लखीराम निवासी ग्राम सब्दलपुर मिल्क थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 610/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू पुत्र लखीराम निवासी ग्राम सब्दलपुर मिल्क थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

## बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. आरक्षी 1872 हेमंत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 973 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।